

notice of such cancellation to be securely posted upon the said construction, if the owner is not traceable at his address given in the notice and there is no agent to receive the notice on behalf of the owner. Posting of such a notice shall be considered sufficient notification of cancellation to the owner thereof.

**12. Occupancy Violations.**—Whenever any building is being used by any person contrary to provisions of these rules, the Building Officer may by order require discontinuance of such use of such building or portion thereof. Such person shall discontinue the use within ten days of the receipt of such notice or make the building or portion thereof comply with requirements of the rules.

**13. Board of Appeal.**—<sup>1</sup>(1) The State Government shall appoint a Board of Appeal consisting of the following :—

- The Mayor of Municipal Corporation or President of Municipal Council— as Chairman.
- The Joint or Dy. Director, Town and Country Planning for the area— as a member.
- A representative nominated by the Authority.
- The member nominated/co-opted by the Chairman, essentially a Civil Engineer of State Public Works Department/Health Engineering Department or Development Authority.

(2) The Board of Appeal shall hear appeals arising out of the following matters against the orders of the Authority or Building Officer except land development permits :—

- conditions, if any, attached to the grant of building permission;
- the grounds on which permission has been refused;
- suitability of alternative material or design or construction of building
- the matters related with building controls.

The appeals pertaining to land development permits shall be heard by appellate authority as prescribed under Section 31 of the Act.]

(3) The Board shall make regulations for conducting its investigations and lay down its own procedure which, as far as may be, shall be consistent with principles of natural justice for hearing appeals and shall render all decisions and findings in writing to the Building Officer and furnish a copy of appellate decision to the appellant and may order such modifications as it may deem necessary.

(4) The owner or Engineer/Architect signing the plans out of which the appeal arises shall appeal to the Board within thirty days from the grant or refusal of the permission, as the case may be. The appeal shall be decided as far as may be, within sixty days of the receipt of the appeal.

### PART III

#### PERMISSION AND INSPECTION

**14. Permission for Development or for Construction.**—(1) No person shall carry out any development or erect, re-erect or make alterations or demolish any

<sup>1</sup> Subs. by Notfn. No. 3073/32-1/87, dated 10-8-1987.

और स्वामी की ओर से सूचना को प्राप्त करने के लिये कोई एजेंट न हो वहाँ ऐसी सूचना का लगाया जाना स्वामी को उसका रद्दकरण अधिसूचित करने के लिये पर्याप्त माना जावेगा।

**12. अधिभोग का अतिक्रमण** - जब कभी किसी व्यक्ति द्वारा इन नियमों के उपबन्धों के विपरीत किसी भवन का उपयोग किया जा रहा हो वहाँ भवन निर्माण अधिकारी आदेश द्वारा ऐसे भवन या उसके भाग के ऐसे उपयोग को बन्द करने की उपेक्षा कर सकेगा। ऐसा व्यक्ति ऐसी सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर उपयोग करना बन्द कर देगा या भवन या उसके भाग को इस प्रकार बनायेगा, जिससे कि नियमों की अपेक्षाओं का पालन हो जाय।

**13. अपील बोर्ड-** <sup>1</sup>(1) राज्य सरकार एक अपील बोर्ड नियुक्त करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे-

- नगरपालिका निगम का महापौर या नगर पालिका परिषद् का अध्यक्ष अध्यक्ष
- उस क्षेत्र का नगर तथा ग्राम निवेश का संयुक्त संचालक या उप सदस्य संचालक
- प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट - एक प्रतिनिधि सदस्य
- अध्यक्ष द्वारा सहयोजित, नामनिर्दिष्ट जो राज्य लोक निर्माण सदस्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकीय विभाग या विकास प्राधिकरण का एक सिविल इंजीनियर।

(2) अपील बोर्ड, भूमि विकास की अनुज्ञा को छोड़कर प्राधिकारी या भवन निर्माण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध उन अपीलों की सुनवाई करेगा जो निम्नलिखित विषयों से उद्भूत होती हैं :—

- भवन निर्माण की अनुज्ञा प्रदान करने से सम्बन्धित शर्तें, यदि कोई हों;
- वे आधार जिन पर भवन निर्माण की अनुज्ञा से इंकार किया गया है;
- भवन निर्माण की अनुकूल्य सामग्रियों या पद्धतियों या परिकल्पनाओं की उपयुक्तता;
- भवन निर्माण नियंत्रण से सम्बन्धित मामले;

भूमि विकास अनुज्ञा पत्रों से सम्बन्धित अपीलों ऐसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सुनी जायेंगी जो अधिनियम की धारा 31 के अधीन विहित हों।]

(3) बोर्ड अपनी जाँच पड़ताल करने के लिये विनियम बनायेगा तथा अपीलों की सुनवाई के लिये अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करेगा जो जहाँ तक हो सके नैसर्गिक न्याय से संगत होगी और सभी निर्णय तथा निष्कर्ष भवन निर्माण अधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करेगा और अपील तथा विनिश्चय की प्रति अभिलार्थी को प्रस्तुत करेगा ऐसे उपान्तरणों के लिये आदेश दे सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(4) स्वामी या जिसने उन रेखाओं पर हस्ताक्षर किये हों, वह इंजीनियर/वास्तुविद्, उन रेखाओं जिनसे अपील उत्पन्न नहीं हुई हो, यथास्थिति अनुमति की मंजूरी या नामंजूरी से तीस दिन के भीतर बोर्ड को अपील करेगा। अपील पर जहाँ तक हो सके अपील की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर विनिश्चय किया जायगा।]

### भाग तीन

#### अनुज्ञा तथा निरीक्षण

**14. विकास या निर्माण के लिये अनुज्ञा-** (1) विकास या निर्माण कार्य अनुज्ञा के बिना नहीं किया जावेगा - कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन का विकास, परिनिर्माण, पुनः परिनिर्माण या उसमें कोई परिवर्तन